

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 59/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/69

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री नानु लाल देवडिया
निवासी सदर बाजार अरथुना, बांसवाड़ा,
मैसर्स नेमीनाथ मडिकल स्टोर, हॉस्पिटल
रोड, अरथुना, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 31-10-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-09-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 06-04-2023 को 3.30 पी.एम. बजे बाहसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स नेमीनाथ मडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड, अरथुना, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री नानु लाल देवडिया उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स नेमीनाथ मडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड, अरथुना, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में **Protine Powder (Prolee)** 200 ग्राम के 10 डिब्बे विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **Protine Powder (Prolee)** में गुणवत्ता की कमी / मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Protine Powder (Prolee)** के 8 डिब्बे प्रत्येक में 200 ग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 2232/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा **Protine Powder (Prolee)** के 8 डिब्बे प्रत्येक में 200 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग प्लास्टिक डिब्बा पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक **W-1371** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/288 दिनांक 15-05-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 436 दिनांक 21-04-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Protine Powder (Prolee)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1371** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Protine Powder (Prolee)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12-09-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 31-10-2023 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/288 दिनांक 15-05-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 436 दिनांक 21-04-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Protine Powder (Prolee)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1371** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति

में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **Protine Powder (Prolee)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री नानु लाल देवडिया निवासी सदर बाजार अरथुना, बांसवाड़ा, मैसर्स नेमीनाथ मडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड, अरथुना, बांसवाड़ा को रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 31-10-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला क्लर्क)
(अति. जिला क्लर्क)
बांसवाड़ा (राज.)